प्रेस विज्ञप्ति

03-07-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था, इंदौर को 4.64 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाने में संलिप्ता हेतु श्रीकांत घाटे, सुभाष चंद्र दुबे, राकेश जैन, अंतिम जोशी तथा आनंद शाह के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 03.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर ने 03.07.2026 को पूर्व-संज्ञान सुनवाई हेतु आरोपितों को नोटिस जारी किए हैं।

ईडी ने यह जांच पुलिस थाना एम.जी. रोड, इंदौर द्वारा श्रीकांत घाटे एवं नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था लिमिटेड, इंदौर के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं (जो पीएमएलए के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं) के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर प्रारंभ की थी। उक्त प्राथमिकी संस्था में की गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं एवं धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों से संबंधित है।

ईडी द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा निदेशक मंडल के सदस्यों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था, इंदौर के धन से खरीदी गई भूमि को विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में विक्रय कर दिया तथा इस प्रकार प्राप्त धनराशि का गबन कर अपनी ही संस्था के सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की। समिति के सदस्यों के साथ धोखाधड़ी कर तथा भूमि विक्रय से प्राप्त धनराशि से संबंधित गैर-हिसाबी अभिलेखों को नष्ट कर अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की गई। अवैध रूप से गबन की गई धनराशि को उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से सुनियोजित ढंग से विभिन्न लेयरिंग के माध्यम से प्रवाहित किया गया तथा बाद में उसका उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया।

ईडी ने 12.02.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 64.16 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करते हुए एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया था। ये संपत्तियां श्रीकांत घाटे एवं सुभाष चंद्र दुबे के नाम पर थीं।

मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।